हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2026

संख्याः वि0स0–विधायन–विधेयक/1–12/2026.–– हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6)** जो आज दिनांक 31 मार्च, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल),
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 6.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 6 का संशोधन।
3. धारा 7 का संशोधन।
4. धारा 8 का संशोधन।
5. धारा 12 का प्रतिस्थापन।

2026 का विधेयक संख्याक 6.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 02) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस विधेयक का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2026 है।

2. **धारा 6 का संशोधन.**––शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात "मूल अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 6 मेंः–

(क) उप–धारा (2) में "सौ" शब्द के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे, और

(ख) उप–धारा (3) में "दो हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "दस हजार" शब्द रखे जाएंगेः

3. **धारा 7 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 7 में,–

(क) उप–धारा (1) में ''उपायुक्त'' शब्द के स्थान पर ''गृह विभाग में सचिव'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ख) उप–धारा (2) में "सौ" शब्द के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उप–धारा (3) में "एक हजार" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 8 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 8 मेंः–

(क) उप–धारा (3) में, "दो सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप–धारा (4) में "सौ" शब्द के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

5. **धारा 12 का प्रतिस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित किया जाएगा, अर्थात्ः–

''**12. शास्तियां.**–(1) जो कोई पास के किसी भी निबन्धन और शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसे दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे दस दिन का साधारण कारावास भुगतना होगाः

परन्तु ऐसे प्रत्येक अपराध का वर्दी में पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो एक हजार रुपए की प्रशमन फीस के साथ स्थल पर (मौके पर) ही शमन किया जा सकेगा।

(2) किसी प्रतिबंधित सड़क पर बिना किसी विधिमान्य पास के यान चलाने पर शास्ति पांच हजार रुपये तथा सील्ड सड़क पर दस हजार रुपये होगीः

परन्तु कोई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो विहित शास्ति के पचास प्रतिशत के बराबर शमन शुल्क लेकर स्थल पर ही अपराध का शमन कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अध्यधीन रहते हुए जो कोई इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसे तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे पन्द्रह दिन का साधारण कारावास भुगतना होगाः

परन्तु यह कि वर्दी में पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पन्द्रह सौ रुपए की प्रशमन फीस के साथ अपराध का स्थल पर (मौके पर) ही शमन किया जा सकेगा।''।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा सुविधा) अधिनियम 2007 को शिमला मालरोड़ की पहचान (महत्व) आम रास्ते के रूप में इसके उपयोग को रोकते हुए और शिमला शहर की सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में यातायात को विनियमित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। तथापि, गत वर्षों में अनाधिकृत यानीय यातायात को निर्धारित करने में लगभग दो दशक पूर्व स्थापित नाममात्र फीस संरचना और अल्प शास्ति दरें अपर्याप्त सिद्ध हुई है। इससे यानों के गुजरने में असंधार्य कठिनाई और पैदल चलने वालों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है तथा मालरोड़ क्षेत्र में ऐतिहासिक यान मुक्त पहचान को भी क्षति पहुँची है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए विधेयक "सील्ड और प्रतिबन्धित" सड़कों हेतु आवेदन फीस और वार्षिक परमिट प्रभारों में महत्वपूर्ण वृद्धि पुरःस्थापित करता है। यह उपाय यातायात की तंगी को कम करने और शिमला में पैदल चलने वालों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने हेतु अनिवार्य है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

शिमलाः

तारीखः ....., 2026

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2026.

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 6.
3. Amendment of section 8.
4. Amendment of section 8.
5. Substitution of section 12.

Bill No. 6 of 2026.

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No. 2 of 2008).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2026.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in sub-section (2), for the figures "100/-", the figures "500" shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), for the figures "2500/-" the figures "10,000" shall be substituted.

3. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "Deputy Commissioner", the words "Secretary in the Home Department" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the figures "100/-", the figures "500" shall be substituted; and

(c) in sub-section (3), for the figure "1000", the figure "5000" shall be substituted.

4. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act,—

(a) in sub-section (3), for the figures "200/-", the figures "1000" shall be substituted;

(b) in sub-section (4), for the figures "100" the figures "500" shall be substituted; and

5. Substitution of section 12.—For section 12 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"12. Penalities.—(1) Whoever contravenes any of the terms and conditions of the pass, shall be punishable with a fine of Rs. 2000 or undergo simple imprisonment of 10 days in default thereof:

Provided that each such offence may be compounded on the spot by a Police Officer in uniform not below the rank of Assistant Sub-Inspector for a compounding fee of Rs. 1000.

(2) The penalty for plying a vehicle without a valid pass shall be Rs. 5000 on a restricted road and Rs. 10,000 on a sealed road :

Provided that a police officer in uniform not below the rank of Assistant Sub-Inspector may compound the offence for a componding fee equal to fifty percent of the prescribed penalty.

(3) Subject to sub-section (1), whoever contravenes any of the provisions of this Act, shall be punishable with a fine of Rs. 3000 or undergo simple imprisonment of 15 days, in default thereof:

Provided that a police officer in uniform not below the rank of Assistant Sub-Inspector may compound the offence on the spot for a compounding fee of Rs. 1500.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 was enacted to restore the sanctity of the Mall Road Shimla Mall Road by preventing its use as a thoroughfare and to regulate traffic in the interest of public safety and convenience on sealed and restricted roads of Shimla Town. However, in recent years, the nominal fee structure and low penalty rates established nearly two decades ago have proven inadequate in deterring unauthorised vehicular traffic. This had led to an unsustainable surge in vehicle passes, compromising the safety of pedestrians and diluting the historic vehicle free sanctity of the Mall Road area.

To adress these challenges, the Bill introduces significant enhancement to the application fees and annual permit charges for "Sealed" and "Restricted" roads. These measures are essential to reduce traffic congestion and prioritise the safety and convenience of pedestrians in Shimla.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:

THE....., 2026.